नो सिल्वर बुलेट

साभार : इंडियन एक्सप्रेस **28 अगस्त, 2017**

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण है।

राज्य स्वामित्व वाली बैंकों का विलय करना एक सम्पूर्ण समाधान नहीं हो सकता, इसके सम्पूर्ण समाधान के लिए सबसे पहले बैलेंस शीट को मजबूत करना होगा और शासन में सुधार करना होगा।

सरकार ने घोषणा की है कि वित्त मंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री स्तरीय समिति सरकारी बैंकों के बीच विलय की निगरानी करेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि इसका उद्देश्य मजबूत बैंक का निर्माण करना है जिसमें विलय का प्रस्ताव इन बैंकों के बोर्ड से आएगा और निर्णय सीधे तौर पर वाणिज्यिक आधार पर लिया जाएगा। यह विचार उस वक्त आया है जब कुल ऋण के अनुपात के रूप में बैड लोन पहले से ही 10 प्रतिशत के करीब पहुँच चुका हैं जो यह संकेत देता है कि मौजूदा आर्थिक स्थिति और दोहरे बैलेंस शीट (ओवर-लीवरेज कॉरपोरेट बैलेंस शीट्स और बैंकों के बैड लोन) की समस्या के कारण यह अनुपात और भी बदतर हो जयेगा। यही कारण है कि पीएसयू बैंकों के विलयों की देखरेख के लिए तथाकथित वैकल्पिक तंत्र बैंकों के लिए पूंजीगत निवेश की चुनौतियों से बचने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है, जो सरकार इन कमजोर बैंकों में से कुछ को नियंत्रित या विनिर्दिष्ट करती है।

पिछले दो दशकों में, सभी सरकारों ने भारतीय बैंकों को बेहतर बनाने के लिए बेहतर कार्यशील वित्तीय क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए नीति विकल्प का निर्माण किया है, ताकि इस प्रणाली को सुदृढ़ बनाया जा सके। लेकिन इस लक्ष्य को एक मजबूत बैलेंस शीट के साथ एक ऋणदाता को मजबूर करके हासिल नहीं किया जा सकता और ना ही एक कमजोर बैंक के साथ देशव्यापी शाखा नेटवर्क का विलय करने से इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है जहाँ अधिकांश 21 सरकारी बैंकों की बैलेंस शीट्स दयनीय स्थिति में हैं।

आरबीआई की नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में दिखाया गया है कि अगर कोई आर्थिक पुनर्गठन न हो तो पीएसयू बैंकों का सकल बैड लोन अनुपात मार्च 2018 तक 14.2 प्रतिशत के बराबर हो सकता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज का मानना है कि जिन राजकोषीय बैंकों के लिए इस वित्त वर्ष में 10,000 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है, अब अगले 2 वर्षों में 11 सरकारी बैंकों के लिए 95,000 करोड़ रुपये के करीब रखना होगा।

वित्तीय क्षेत्र में इस तरह के विलय के वैश्विक अनुभव से पता चलता है कि अगर वे दक्षता, तालमेल और सांस्कृतिक योग्यता की परीक्षा पूरी नहीं करते हैं, तो वे विफल हो सकते हैं। शायद यह जल्दबाजी में लिया गया निर्णय हो, लेकिन नवीनतम परिणाम यह दर्शाते हैं कि भारत के सबसे बड़े बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपने सहयोगी बैंकों के साथ विलय होने के बाद इसकी कमाई में गिरावट आ गयी हैं। इस संदर्भ में यह प्रश्न उठाना वाजिब है कि इस योजनाबद्ध समेकन से शाखा स्तर पर, कर्मचारियों के मामले में और अधिक कुशल बैंकिंग प्रणाली के सन्दर्भ में यह कहाँ तक तर्कसंगत है?

अगर इसका मकसद बैंकों के इस ब्रह्मांड को छोटा करने से ही केवल संबंधित है, जिसका नियंत्रण सरकार करती है, तो यह अभी भी शासन के मुख्य मुद्दे को नहीं निपटा पायेगा। यह सरकार द्वारा बैंकों के स्वामित्व में जुड़ा हुआ है। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि इन बैलेंस शीटों को मजबूत करने और प्रशासन के मानकों को मजबूत करने के बिना, बैंकों के विलय से समस्या हल नहीं हो सकती है, साथ ही इससे उधारदाताओं द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का परिमाण और अधिक समस्याओं का निर्माण कर सकता है।

'द इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016'

- विदित हो कि विगत वर्ष केंद्र सरकार ने आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम उठाते हुए एक नया दिवालियापन संहिता संबंधी विधेयक पारित किया था जिसे 'द इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016' के नाम से जाना जाता है।
- गौरतलब है कि यह नया कानून 1909 के 'प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्वेंसी एक्ट' और 'प्रोवेंशियल इन्सॉल्वेंसी एक्ट' 1920 को रद्द करता है और कंपनी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और 'सेक्यूटाईजेशन एक्ट' समेत कई कानूनों में संशोधन करता है।
- दरअसल, कंपनी या साझेदारी फर्म व्यवसाय में नुकसान के चलते कभी भी दिवालिया हो सकती है। यदि कोई आर्थिक इकाई दिवालिया होती है तो इसका मतलब यह है कि वह अपने संसाधनों के आधार पर अपने ऋणों को चुका पाने में असमर्थ है।
- ऐसी स्थिति में कानून में स्पष्टता न होने पर ऋणदाताओं को भी नुकसान होता है और स्वयं उस व्यक्ति या फर्म को भी तरह-तरह की मानसिक एवं अन्य प्रताड़नाओं से गुजरना पड़ता है। देश में अभी तक दिवालियापन से संबंधित कम-से-कम 12 कानून थे जिनमें से कुछ तो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं।
- बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक से प्रोत्साहित होकर भारतीय रिजर्व बैंक वर्ष 2019 के मार्च तक लगभग 8 लाख करोड़ के खराब ऋणों के लिये प्रस्ताव लाने की अपेक्षा रखता है।
- इसके द्वारा गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों में कमी आएगी तथा बैंकों की वित्तीय अवस्था में सुधार होगा।

प्रमुख बिंदु

- दरअसल, गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों की समस्या का समाधान वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में ही करने का निर्णय एक स्वागत योग्य कदम है।
- यद्यपि सम्पूर्ण एनपीए समस्या को दिवाला और दिवालियापन संहिता प्रस्ताव प्रक्रिया के माध्यम से सुलझाया जा सकता है परन्तु यह देखना भी आवश्यक होगा कि वे बैंकों की बैलेंस शीटों से कितनी जल्दी दूर किये जाते हैं।
- गैर-निष्पादनकारी परिसम्पतियाँ बैंकों(मुख्यत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक) के वित्तीय स्वास्थ्य पर एक बड़ा अवरोध हैं।

- उदाहरण के लिये, वर्ष 2016-17 में 27 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 1.5 लाख करोड़ का परिचालन लाभ हुआ था परन्तु खराब ऋणों के प्रावधानीकरण के लिये मंजूरी देने के पश्चात इनका कुल परिचालन लाभ घटकर 574 करोड़ रूपए हो गया।
- यदि बैंकों की बैलेंस शीट में अधिक विचलन देखने को मिला तो इसका यह तात्पर्य होगा कि बैंकों में नए कॉर्पोरेटों को ऋण देने की क्षमता नहीं है जो कि निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिये आवश्यक है।
- यह ध्यान देने योग्य है कि मार्च 2017 में समाप्त होने वाली 16 माह की परिसंपत्ति गुणवत्ता समीक्षा से गैर-निष्पादनकारी संपत्तियों का पता चल चुका था और इसके बाद इस समस्या का समाधान करना भी आवश्यक हो गया था।

गैर-निष्पादनकारी परिसम्पतियाँ?

- गैर-निष्पादनकारी परिसंपत्तियों से तात्पर्य ऐसे ऋण से है जिसका लौटना संदिग्ध हो।
- बैंक अपने ग्राहकों को जो ऋण देता है वह उसे अपने खाते में संपत्ति के रूप में दर्ज करता है परन्तु यदि किसी कारणवश बैंक को यह आशंका होती है कि ग्राहक यह ऋण नहीं लौटा पाएगा तो ऐसी संपत्ति को ही गैर-निष्पादनकारी संपत्तियाँ कहा जाता है।
- यह किसी भी बैंक की वित्तीय अवस्था को मापने का पैमाना है। यदि इसमें वृद्धि होती है तो यह बैंक के लिये चिंता का विषय बन जाता है।

संबंधित तथ्य

नरसिम्हन समिति

➢ भारतीय अर्थव्यवस्था में 1991 के आर्थिक संकट के उपरान्त बैंकिंग क्षेत्र के सुधार के दृष्टिकोण से जून 1991 में एम. नरसिंहम की अध्यक्षता में नरसिंहम समिति अथवा वित्तीय क्षेत्रीय सुधार समिति की स्थापना की गई। जिसने अपनी संस्तुतियां दिसंबर, 1991 में प्रस्तुत की। नरसिंहम समिति-2 स्थापना 1998 में हुई थी।

वायदा बाजार आयोग (Forward Markets Commission)

➢ वायदा बाजार आयोग (एफएमसी) का मुख्यालय मुंबई में है, जो एक विनियामक प्राधिकारी है और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजानिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार की देखरेख में हैं। यह फॉरवर्ड संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के तहत् 1953 में स्थापित एक संविधिक निकाय है। अधिनियम में प्रावधान है कि आयोग में दो से कम और चार से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनको केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हो, उनमें से केंद्रीय सरकार द्वारा नामित इसका अध्यक्ष होगा।

कार्य एवं दायित्व

➢ किसी भी संघ की मान्यता या मान्यता की वापसी के संबंध में या वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम 1952 के क्रियान्वयन से उत्पन्न किसी भी अन्य मामले के संबंध में केंद्र सरकार की सलाह देने के लिए।

➢ वायदा बाजार को निगरानी में रखने और उससे संबंधित कार्रवाई करने के लिए, जो कि आवश्यक हो सकता है या इस अधिनियम के द्वारा या अंतर्गत उसे सौंपी गई शक्तियों के प्रयोग में।

➢ इकट्ठा करने और जब भी आयोग यह आवश्यक समझता है, वस्तुओं के व्यापार की शर्तो के बारे में जानकारी प्रकाशित करने के लिए जो कि अधिनियम के किसी भी प्रावधानों से लागू किया जाता है जिनमें आपूर्ति, मांग और कीमतों के बारे में जानकारी भी शामिल है और इस तरह के सामान से संबंधित वायदा बाजार की कार्यशैली पर आवधिक विवरण (रिपोर्ट) केंद्र सरकार को प्रस्तुत करना।

➢ सामान्यत: वायदा बाजार के काम और संगठन में सुधार लाने की दृष्टि से सिफारिशें करना।

➢ किसी भी मान्यता प्राप्त संघ या पंजीकृत संस्था या इस तरह के सहयोग से बने किसी भी सदस्य के खातों और अन्य दस्तावेजों के निरीक्षण का कार्य करने के लिए जब भी यह आवश्यक समझे।

बैंकिंग-वित्तीय क्षेत्र में सुधार हेतु प्रमुख समितियाँ

• नरसिम्हन समिति	: बैंकिंग सुधार
• चेलैया समिति	: कर सुधार
• रंगराजन समिति	: भुगतान संतुलन
• जानकीरमन समिति	: प्रतिभूति घोटाला
• स्वामीनाथन समिति	: जनसंख्या नीति
• महालनोबिस समिति	: राष्ट्रीय आय
• मल्होत्रा समिति	: बीमा सुधार
• भंडारी समिति	: क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक सुधार
• सच्चर समिति	: मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन
• खुसरो समिति	: कृषि साख
• दामोदरन समिति	: बैंकिंग सेवाओं में सुधार
• गोपीनाथ समिति	: राष्ट्रीय लघु बचत कोष
• नाचिकेत मोर समिति	: वित्तीय समावेशन

संभावित प्रश्न

बैड बैंक की अवधारणा क्या है? यह गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) से किस प्रकार संबंधित है। बैंड बैंक से संबंधित समस्याओं का जिक्र करते हुए बतायें कि सरकार द्वारा इससे संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? चर्चा कीजिए। (200 शब्द)

705, IInd Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009
Ph.: 011 - 27658013, 9868365322